



राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर – 302018

Rajasthan Staff Selection Board, Jaipur – 302018

Website : www.rsmssb.rajasthan.gov.in

Tel. : 0141-2722520

क्रमांक: प.8(143)/RSSB/प.आ./PWD/DC/2025/

दिनांक: यथाहस्ताक्षर

श्रुतलेखक (SCRIBE) के संबंध में दिशा-निर्देश (आदिनांक)

बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में दिव्यांगजन/विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक उपलब्ध करवाये जाने हेतु निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं—

1. अभ्यर्थी स्वयं का श्रुतलेखक ला सकते हैं:-

- 1.1. स्वयं का श्रुतलेखक लाने वाले अभ्यर्थी श्रुतलेखक की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में जांच ले कि उनके द्वारा लाया गया श्रुतलेखक बोर्ड द्वारा श्रुतलेखक हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप है।
- 1.2. श्रुतलेखक को फोटो पहचान पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण की प्रतिलिपि तथा श्रुतलेखक व अभ्यर्थी द्वारा वचन-पत्र केन्द्राधीक्षक को परीक्षा दिवस से कम से कम एक दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगा एवं केन्द्राधीक्षक उसका परीक्षण करेगा।
- 1.3. अभ्यर्थी को नियमानुसार जारी दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण-पत्र भी केन्द्राधीक्षक को परीक्षा दिवस से कम से कम एक दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगा अन्यथा श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।

किन्तु दृष्टिबाधित विशेष योग्यजन के संबंध में निदेशालय विशेष योग्यजन के परिपत्र क्रमांक: F10(6) (5)/LEGAL/DSAP/GEN./2022-02168 23987 दिनांक: 20.01.2025 के बिन्दु संख्या 04 के अनुसार दृष्टिबाधित विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के दिन ही स्वयं का सहायक लेकर आते हैं तो उस दिन उनसे शपथ पत्र भरवाकर अनुमति दी जानी चाहिए। शपथ पत्र का प्रारूप बोर्ड की वेबसाइट पर तथा मार्गदर्शिका में भी उपलब्ध है।

2. बोर्ड के माध्यम से:-

(A) केन्द्राधीक्षक से अनुरोध कर:- अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा से 02 दिवस पूर्व वांछित चिकित्सा प्रमाण-पत्रों सहित केन्द्राधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर श्रुतलेखक की सुविधा उपलब्ध करवाये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही केन्द्राधीक्षक द्वारा श्रुतलेखक की व्यवस्था की जायेगी। अतः अभ्यर्थी उत्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(B) बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध श्रुतलेखक पैनल का प्रयोग कर:- पैनल के माध्यम से श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिये अभ्यर्थी को परीक्षा से 02 दिवस पूर्व बोर्ड से संपर्क करना होगा। जिला प्रशासन/परीक्षा समन्वयक द्वारा जिलेवार उपलब्ध पैनल में पंजीकृत श्रुतलेखकों को आवश्यकतानुसार श्रुतलेखक के रूप में कार्य करने हेतु मनोनीत किया जायेगा।

श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने वाले दिव्यांगजन /विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों के संबंध में दिशा-निर्देश:-

1. श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के समय श्रुतलेखक संबंधी विकल्प का चयन करना होगा। उक्त विकल्प का चयन नहीं किये जाने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।
2. श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण-पत्र, वचनपत्र (Appendix-A) एवं श्रुतलेखक का वचनपत्र (Appendix-B) भरकर केन्द्राधीक्षक को प्रस्तुत करना होगा।



श्रुतलेखक के फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण की स्वसत्यापित प्रतिलिपि केन्द्राधीक्षक को देनी होगी।

3. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(r) के तहत परिभाषित विशेष योग्यजन की (40 प्रतिशत या 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता) दृष्टिबाधित (Blindness), लोकोमोटर डिसेबिलिटी (दोनों हाथों की निःशक्तता— Both Arms) एवं सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy) श्रेणी वाले अभ्यर्थी द्वारा चाहने पर दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर श्रुतलेखक की सुविधा दी जायेगी। उक्त श्रेणी के अलावा Section- 2(r) के तहत परिभाषित अन्य श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ चिकित्सा अधीक्षक/नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुरूप नामित अधिकारी से अनुमोदित प्रमाण-पत्र (Appendix-C) एवं दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा दी जायेगी।
4. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(s) के तहत परिभाषित विशेष योग्यजन की (40 प्रतिशत से कम निःशक्तता) श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ चिकित्सा अधीक्षक/नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुरूप नामित अधिकारी से अनुमोदित प्रमाण-पत्र (Appendix-D) एवं दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा दी जायेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिये परीक्षा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व समस्त प्रमाण पत्रों के साथ बोर्ड से सम्पर्क करना होगा अन्यथा श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।
5. ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करते हैं, उन्हें परीक्षा समय के अतिरिक्त 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूरक समय दिया जायेगा।
6. ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो उपर्युक्त बिन्दु संख्या 03 व 04 के अन्तर्गत श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिये पात्र है, किन्तु श्रुतलेखक की सुविधा नहीं लेते हैं, उन्हें भी मांग किये जाने पर परीक्षा समय के अतिरिक्त 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूरक समय दिया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को क्षतिपूरक समय प्राप्त करने के लिये परीक्षा दिनांक से कम से कम एक दिवस पूर्व केन्द्राधीक्षक को प्रार्थना-पत्र, वांछित दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र एवं वचनपत्र (Appendix-E) प्रस्तुत करना होगा।
7. श्रुतलेखक हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता (विज्ञापनानुसार) निम्नानुसार है:—

परीक्षा के लिए विज्ञापनानुसार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जिसका अभ्यर्थी परीक्षार्थी है	श्रुतलेखक की शैक्षणिक योग्यता
(क) स्नातकोत्तर उपाधि	अधिकतम स्नातक
(ख) स्नातक उपाधि	अधिकतम द्वितीय वर्ष एवं स्नातक अध्ययनरत
(ग) सीनियर सैकण्डरी	अधिकतम सैकण्डरी
(घ) सैकण्डरी	उच्च प्राथमिक

8. अभ्यर्थी जिस विषय में परीक्षा दे रहा हो, उसे उसी विषय के श्रुतलेखक की सेवाएं उपलब्ध नहीं होगी तथापि भाषायी संबंधी विषयों यथा संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, राजस्थानी व सिंधी हेतु उसी विषय के श्रुतलेखक की सेवाएं दी जा सकती है।
9. श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के संबंध में किसी प्रकार का गलत तथ्य / प्रमाण प्रस्तुत करने पर बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी तथा श्रुतलेखक व अभ्यर्थी को आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में विवर्जित (Debarment) किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
10. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थायी रूप से असमर्थ हुए हैं, को श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।
11. बोर्ड द्वारा श्रुतलेखक को पारिश्रमिक का भुगतान प्रति सत्र 100 रुपये की दर से किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा स्वयं का श्रुतलेखक लाने पर श्रुतलेखक को पारिश्रमिक का भुगतान बोर्ड द्वारा नहीं किया जायेगा।

12. श्रुतलेखक द्वारा अभ्यर्थी को प्रश्न बोलकर बताया जायेगा एवं श्रुतलेखक उत्तरपुस्तिका में अभ्यर्थी द्वारा बोलकर बताये अनुसार ही उत्तर लिखेगा तथा स्वयं के मन से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं लिखने के लिए बाध्य होंगे। केन्द्राधीक्षक गहन निगरानी कर यह सुनिश्चित करेंगे कि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक सुविधा का कोई दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है।
13. बोर्ड द्वारा केन्द्राधीक्षक को उपलब्ध करवाई जाने वाली श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की सूची ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरे गये विवरण के आधार पर तैयार की गई है। अतः बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में केन्द्राधीक्षक चिकित्सा प्रमाण-पत्रों की जांच कर लेवें तथा उन्हीं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक उपलब्ध करवाया जावें, जो इसके लिये पात्र हैं।
14. बोर्ड की परीक्षाओं से विवर्जित (Debarred) अभ्यर्थी को श्रुतलेखक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

Section-2(r) of The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016:- "Person with benchmark disability" means a person with not less than forty percent of a specified disability where specified disability has not been defined in measurable terms and included a person with disability has been defined in measurable terms, as certified by the certifying authority.

Section-2(s) of The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016:- "Person with disability" means a person with long term physical, mental, intellectual or sensory impairment which, in interaction with barriers, hinders his full and effective participation in society equally with others.

नोट— स्वयं का श्रुतलेखक लाने वाले दिव्यांगजन अभ्यर्थियों का अन्तिम चयन पश्चात सवाई मान सिंह अस्पताल जयपुर अथवा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में निर्धारित दिव्यांगता साबित नहीं होने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

Annexure-A,B,C,D,E प्रारूप संलग्न हैं।

(डॉ० बी. सी. बधाल)
सचिव

क्रमांक: प.8(143)/RSSB/प.आ./PWD/DC/2025/
प्रतिलिपि :-

दिनांक: यथाहस्ताक्षर

1. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. अनुभाग को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

सचिव